भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2554

जिसका उत्तर 4 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है।

13 अग्रहायण, 1941 (शक)

डाटा संरक्षण विधेयक

2554. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रारूपित डाटा संरक्षण विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृत व्यक्तिगत डाटा संरक्षण पर बी.एन. श्रीकृष्णा समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति की सरकार द्वारा स्वीकृत न की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उपर्युक्त विधेयक यू.एस. और यूरोपीय डाटा निजता कानून से अलग है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) से **(घ)** : इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने दिनांक 31 जुलाई, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3(6)/2017-सीएलईएस के जरिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री बी. एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में निजी डाटा संरक्षण विधेयक संबंधी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 जुलाई, 2018 को प्रस्तुत कर दी है। समिति ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक पर एक मसौदा भी प्रस्तुत किया है। मसौदा विधेयक पर व्यापक विचार-विमर्श किए गए और विधेयक की सूचना सामग्री पर ओपन फीड बैक मांगे गए। वर्तमान में इस पर प्रक्रिया चल रही है और इस विधेयक को संसद के पटल पर रखा जाना प्रस्तावित है। बी.एन श्री कृष्णा की रिपोर्ट और मसौदा विधेयक वेबसाइट https://meity.gov.in/data-protection-framework पर उपलब्ध है। समिति ने विभिन्न देशों में निजता संबंधी कानूनों के बारे में एक गहन अध्ययन किया और ये विवरण रिपोर्ट में उपलब्ध हैं। प्रस्तावित विधेयक में ऐसे सभी कानूनों से सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने की मांग की गई है।

******